पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मार्च, 2019 ई0 (फाल्गुन 18, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–10

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	143–150	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	517–523	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	15–23	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

17 सितम्बर, 2018 ई0

संख्या 644 / 18–XIX–2 / 56 वि0 खाद्य / 2006–खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (विपणन शाखा), उत्तराखण्ड के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति दिनांक 06.09.2018 के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ विपणन अधिकारियों को उप सम्भागीय विपणन अधिकारी के पद पर वेतनमान ₹ 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन ₹ 5,400) / 56,100–1,77,500 (लेवल–10) में प्रोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	नाम
1.	सुश्री लता मिश्रा
2.	श्री के0 सी0 पाण्डेय
3.	श्री चन्द्र मोहन घिल्डियाल

2. उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

3. पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

अधिसूचना

23 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 1476 / उ0खा0ग्रा0बो0 / 2018–19–राज्यपाल, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 37 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से "उत्तराखण्ड खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड" को उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (समूह "क" एवं "ख") सेवा विनियमावली, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड समूह ''क'' एवं ''ख'' सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड समूह "क" एवं "ख" सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिशिष्ट 'क' का संशोधन

2. उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड सेवा नियमावली, 2016 के नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान परिशिष्ट "क" के क्र0सं0 3 में दिए गए मद के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया मद रख दिया जायेगा;

अर्थात्–

		स्तम्भ–1 *वर्तमान परिशिष्ट* (भर्ती का स्रोत)	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट* (भर्ती का स्रोत)
नियम–15 परिशिष्ट "क" का बिन्दु 03	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 [सातवाँ वेतन मैट्रिक्स ₹ 56,100–1,77,500 (लेवल–10)]	(क) पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती।	(क) पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से।
		(ख) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त विकास अधिकारी (9,300–34,800), प्रशासनिक अधिकारी (द्वि) (9,300–34,800) एवं लेखा निरीक्षक (9,300–34,800), वैयक्तिक सहायक (9,300–34,800) में से अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	(ख) पचास प्रतिशत पदोन्नति के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त क्रमशः 70 प्रतिशत विकास अधिकारी वेतन मैट्रिक्स (35,400–1,12,400, लेवल–06) 10 प्रतिशत प्रशासनिक अधिकारी वेतन मैट्रिक्स (44,900–1,42,400, लेवल–07) 10 प्रतिशत, लेखा निरीक्षक वेतन मैट्रिक्स (35,400–1,12,400, लेवल–06) एवं 10 प्रतिशत वैयक्तिक सहायक वेतन मैट्रिक्स (35,400–1,12,400, लेवल–06) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1476/VII-3-18/19-Khadi/2009,** dated January 23, 2019 for general information.

NOTIFICATION

January 23, 2019

No. 1476/VII-3-18/19-Khadi/2009--In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960 (as applicable in Uttarakhand State) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, the Governor is pleased to allow the Uttarakhand Khadi and Industries Board to further amend the Uttarakhand Khadi and Village Industries Board Group "A" and "B" Service Regulation, 2016.

The Uttarakhand Khadi and Village Industries Board Group "A" and "B" Service (Amendment) Regulation, 2018

Short title and Commencement

1. (1) These regulations may be called The Uttarakhand Khadi and Village Industries Board Group A" and "B" Service (Amendment) Regulations, 2018.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Appendix "A"

2. In the Uttarakhand Khadi And Village Industries Board Group "A" and "B" Service Regulation, 2016 for the existing Appendix "A", in item of Sl. No. 3 as set out in column-1 below, the item as set out in column-2 shall be substituted namely:--

		Column-1	**Column-2**
		Existing Appendix	*Appendix hereby*
		(Source of Recruitment)	(Source of Recruitment)
Serial No. 03 of Appendix "A"	District Village Industries Officer ₹ 15,600-39,100, Grade Pay ₹ 5,400/- (7th Pay Matrix ₹ 56,100-1,77,500 (Level-10)	(a) Fifty percent by direct recruitment. (b) Fifty percent By promotion from amongst substantively appointed, in the pay scale Development Officer (₹ 9,300-34,800), Administrative Officer (II) (₹ 9,300-34,800), Account Inspector (₹ 9,300- 34,800) Personal Assistant (₹ 9,300- 34,800), on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.	(a) Fifty percent by direct recruitment through Uttarakhand Public Service Commission (b) Fifty percent By promotion from 70 Percent amongst substantively appointed Development Officer in the Pay Matrix (₹ 35,400-1,12,400 Level-06) 10 percent Administrative Officer (II) in the pay Matrix (₹ 44,900-1,42,400, Level-07), 10 Percent Account Inspector in the pay Matrix (₹ 35,400-1,12,400, Level-06) and 10 percent in the pay Matrix Personal Assistant (₹ 35,400-1,12,400, Level-06) respectively on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, who have completed three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

By Order,

MANISHA PANWAR,
Chief Executive Officer.

ग्राम्य विकास अनुभाग–3

कार्यालय ज्ञाप

08 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 40/XI(3)/2019/06(07)2016–रिट पिटीशन संख्या–1193 (M/S)/2014, श्रीमती राजरानी बनाम राज्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 12.09.2018 को पारित आदेश के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास विभाग से सम्बन्धित कार्यों हेतु ग्राम विकास अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी, एतद्द्वारा नामित किया जाता है तथा अपीलीय अधिकारी पूर्व की तरह खण्ड विकास अधिकारी रहेंगे।

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

18 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 10(1)/नो0ए0/XXXVI(1)/2019–27 नो0ए0/2017–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, श्री विनीत कुमार, अधिवक्ता को दिनांक .....–02–2019 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला मुख्यालय, देहरादून में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, यह भी निदेश देते हैं कि श्री विनीत कुमार का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 10 नो0A/No-A/XXXVI(1)/2019-27No-A/2017,** dated February 18, 2019 for general information.

NOTIFICATION

Appointment

February 18, 2019

No. 10 /No-A/XXXVI(1)/2019-27No-A/2017--In exercise of the powers conferred by Section 3 of tthe Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Vinit Kumar, Advocate as Notary for a period of five years with effect from .....-02-2019 for District Headquater and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Vinit Kumar be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary, Law-cum-L.R.

सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग–1

अधिसूचना

11 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 1370/XIV–1/2019–07(1)2012–राज्यपाल, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2003) की धारा 128 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 442 में स्पष्टीकरण का अन्तःस्थापन 2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम–442 में एक स्पष्टीकरण निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

स्पष्टीकरण–"जहाँ किसी चुनाव क्षेत्र में एक ही मतदाता हो और वही उम्मीदवार हो अथवा जितने उम्मीदवार हों, उनके लिए उतने प्रस्तावक एवं समर्थक उपलब्ध ही न हो, तो नामांकन–पत्र इस आधार पर अवैध नहीं माने जायेंगे कि उम्मीदवार के प्रस्तावक व समर्थक नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वह स्वयं का प्रस्तावक एवं समर्थक समझा जायेगा"।

आज्ञा से,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

12 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 106/XX–3–2019–13(01)2019–श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1946) की धारा–6 के अनुसरण में, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या–2042/2018, लखविन्दर कौर व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2018 के अनुपालन में जनपद चमोली के थाना गोविन्दघाट में पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या–13/2017 अन्तर्गत धारा–365 भा0द0वि0 के अन्वेषण तथा उक्त अपराध से जुड़े हुए या सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषणों के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "The Constitution of The India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No.106/XX(3)-2019-13(01)2019 Dehradun**, dated February 12, 2019 for general information.

NOTIFICATION

February 12, 2019

No.106/XX(3)-2019-13(01)2019--In pursuance of the provisions of Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to accord consent to the extension of power and jurisdiction of the member of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No. 13/2017u/s365 IPC registered at Police Station, Govindghat, District Chamoli, Uttarakhand, in compliance of the order dated 18.12.2018 in Criminal Writ Petition No. 2042/2018 Lakhvinder Kaur and Others Vs State of Uttarakhand above mentioned offence and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or/and arising out of the same facts of the said case.

BY ORDER AND IN THE NAME OF
THE GOVERNOR OF UTTARAKHAND

NITESH KUMAR JHA,
Secretary.

गृह अनुभाग–01

विज्ञप्ति / पदोन्नति

01 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 57 / XX–1–2019–3(12)2014–उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैट्रिक्स में लेवल–10) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय, अग्रसारित स्थाई पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम
1.	श्री योगेश चन्द्र
2.	श्री प्रमोद कुमार शाह

2. उक्त स्थाई पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:–

1. उक्तानुसार पदोन्नत किए जाने वाले कार्मिकों को उनके कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से 02 वर्ष के परिवीक्षा काल पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम–24 में प्रावधान है।
2. उक्तवत् पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की ज्येष्ठता उक्त सेवा में पूर्व से नियुक्त किए गए तथा नियुक्त किए जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ कालान्तर में सुसंगत नियमों के अनुसार निर्गत की जायेगी।

3. पदोन्नति के उपरान्त भी पदोन्नत किए जा रहे कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य भविष्य में प्रकाश में आता है तो ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

आज्ञा से,

सुनील श्री पांथरी,
अपर सचिव।

उच्च शिक्षा अनुभाग–07

शुद्धि–पत्र

07 फरवरी, 2018 ई0

संख्या 44/XXIV(7)/2019–03(घो0)2018–उच्च शिक्षा अनुभाग–07 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–502/XXIV(7)/2018 –03(घो0)2018, दिनांक 03 अगस्त, 2018 के द्वारा राजकीय महाविद्यालय, बेतालघाट, जनपद नैनीताल का नाम "स्व0 खेमचन्द्र डोर्बी राजकीय महाविद्यालय, बेतालघाट, नैनीताल किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। त्रुटिवश "शहीद श्री" के स्थान पर "स्व0" शब्द टंकित हो गया था।

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधित करते हुए "स्व0" के स्थान पर "शहीद श्री" पढ़ा जाये।

3. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

डॉ0 अहमद इकबाल,
अपर सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

08 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 73/XXIV(7)/2019–35(06)2011–एतद्द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय महाविद्यालय, घाट जनपद चमोली का नाम तत्काल प्रभाव से "शहीद जगदीश प्रसाद पुरोहित राजकीय महाविद्यालय, घाट(चमोली)" किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 अहमद इकबाल,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 हिन्दी गजट/123–भाग 1–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मार्च, 2019 ई0 (फाल्गुन 18, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 18/UHC/Admin.A/2019–Ms. Meena Deopa, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is posted as Chief Judicial Magistrate, Hardwar in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 19/UHC/Admin.A/2019–Ms. Rajani Shukla, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar *vice* Ms. Meena Deopa.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 20/UHC/Admin.A/2019–Sri Vivek Srivastava, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is posted as Chief Judicial Magistrate, Dehradun *vice* Sri Manindra Mohan Pandey.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 21/UHC/Admin.A/2019–Sri Manindra Mohan Pandey, Chief Judicial Magistrate, Dehradun is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 22/UHC/Admin.A/2019–Sri Mukesh Chandra Arya, Additional Chief Judicial Magistrate, Haldwani is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Nainital in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 23/UHC/Admin.A/2019–Smt. Manju Singh Mundey, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is posted as 1st Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun *vice* Sri Ramesh Singh.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 24/UHC/Admin.A/2019–Sri Ramesh Singh, 1st Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is posted as 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun vice Sri Vivek Srivastava.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 25/UHC/Admin.A/2019–Sri Jayendra Singh, Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, DLSA Pauri Garhwal is repatriated, transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate, Roorkee, District Hardwar *vice* Sri Sandip Kumar Tiwari.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 26/UHC/Admin.A/2019–Smt. Jyoti Bala, Additional Judge, Family Court, Roorkee, District Hardwar is repatriated, transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar vice Ms. Rajani Shukla.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 27/UHC/Admin.A/2019–Ms. Rinky Sahni, 3rd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is posted as 2nd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 28/UHC/Admin.A/2019–Sri Shahzad Ahmad Wahid, 4th Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is posted as 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun *vice* Smt. Manju Singh Mundey.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 29/UHC/Admin.A/2019–Ms. Vibha Yadav, 5th Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is posted as 3rd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun vice Ms. Rinky Shahni.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 30/UHC/Admin.A/2019–Sri Avinash Kumar Srivastava, 4th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is posted as 4th Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun vice Sri Shahzad Ahmad Wahid.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 31/UHC/Admin.A/2019–Sri Sachin Kumar, 5th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is posted as 4th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun *vice* Sri Avinash Kumar Srivastava.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 32/UHC/Admin.A/2019–Sri Sanjeev Kumar, 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar is posted as Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar *vice* Sri Imran Mohammad Khan.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 33/UHC/Admin.A/2019–Sri Sandeep Singh Bhandari, 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is posted as Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Hardwar vice Smt. Payal Singh.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 34/UHC/Admin.A/2019–Ms. Shama Nargis, Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 35/UHC/Admin.A/2019–Ms. Neha Kushwaha, Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 36/UHC/Admin.A/2019–Ms.Anita Kumari, Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Pauri Garhwal *vice* Smt. Gunjan Singh.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 37/UHC/Admin.A/2019–Ms. Neha Qayyum, Judicial Magistrate, Pithoragarh is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as 4th Additional Civil Judge (Sr. Div.) Udham Singh Nagar in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 38/UHC/Admin.A/2019–Sri Akram Ali, Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as 5th Additional Civil Judge (Sr. Div.) Udham Singh Nagar in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 39/UHC/Admin.A/2019–Sri Neeraj Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Uttarkashi in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 40/UHC/Admin.A/2019–Sri Ashok Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Tharali, District Chamoli is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 41/UHC/Admin.A/2019–Smt. Payal Singh, Civil Judge (Jr. Div.)/Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Hardwar is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate, Haldwani, District Nainital *vice* Sri Mukesh Chandra Arya.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 42/UHC/Admin.A/2019–Ms. Nazish Kaleem, Civil Judge (Jr. Div.) Khatima, District Udham Singh Nagar is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Champawat in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 43/UHC/Admin.A/2019–Ms. Rashmi Goyal, Civil Judge (Jr. Div.) Rishikesh, District Dehradun is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Pithoragarh in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 44/UHC/Admin.A/2019–Sri Akhilesh Kumar Pandey, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Chamoli in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 45/UHC/Admin.A/2019–Sri Imran Mohd. Khan, Civil Judge (Jr. Div.)/Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar is promoted in Civil Judge (Sr. Div.), Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 46/UHC/Admin.A/2019–Sri Sachin Kumar Pathak, Civil Judge (Jr. Div.)/Principal Magistrate, Laksar, District-Hardwar is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 47/UHC/Admin.A/2019–Sri Puneet Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as 5th ACJM Dehradun vice Smt. Vibha Yadav.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 48/UHC/Admin.A/2019–Sri Rajesh Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is promoted in Civil Judge (Sr. Div.) Cadre in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, transferred and posted as Additional Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 49/UHC/Admin.A/2019–Sri Dayaram, JM-II, Haldwani, District Nainital is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital *vice* Ms. Neha Kushwaha.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 50/UHC/Admin.A/2019–Sri Mithilesh Pandey, 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun *vice* Sri Neeraj Kumar.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 51/UHC/Admin.A/2019–Sri Ravindra Dev Mishra, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar *vice* Sri Rajesh Kumar.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 52/UHC/Admin.A/2019–Sri Kapil Kumar Tyagi, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar *vice* Ms. Anita Kumari.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 53/UHC/Admin.A/2019–Ms. Anamika, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun *vice* Ms. Rashmi Goyal.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 54/UHC/Admin.A/2019–Ms. Beenu Gulyani, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar *vice* Ms. Nazish Kaleem.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 55/UHC/Admin.A/2019–Ms. Sahista Bano, Judicial Magistrate, Chamoli is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Tharali, District Chamoli *vice* Sri Ashok Kumar.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 56/UHC/Admin.A/2019–Ms. Jayshree Rana, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital in the vacant Court.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 57/UHC/Admin.A/2019–Ms. Bushra Kamal, Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital *vice* Ms. Jayshree Rana.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 58/UHC/Admin.A/2019–Sri Puneet Kumar 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar *vice* Ms. Bushra Kamal.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 59/UHC/Admin.A/2019–Ms. Minakshi Dubey, Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar *vice* Ms. Shama Nargis.

NOTIFICATION

January 21, 2019

No. 60/UHC/Admin.A/2019–Sri Vivek Singh Rana, Judicial Magistrate, Kotdwar, District Pauri Garhwal is given additional charge of Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal.

NOTE : The order will come into force after issuance of notification for posting of follwoing officers from the SLSA Uttarakhand/ Government of Uttarakhand and officers are directed to take charge latest by 31.01.2019.

1. Recommendation is being sent to the State Government for posting of Ms. Gunjan Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Pauri Garhwal for posting as additional Judge, Family Court, Roorkee, District Hardwar.
2. Recommendation is being sent to the State Legal Services Authority, Nainital for posting of following officers :
   - **(a)** Sri Sandip Kumar Tiwari, Additional Chief judicial Magistrate, Roorkee, District Hardwar as Secretary, DLSA, Pauri Garhwal.
   - **(b)** Ms. Neha Kushwaha, Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital {now promoted to the Cadre of Civil Judge (Sr. Div.)} as Secretary, DLSA, Dehradun.
   - **(c)** Sri Ashok Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Tharali, District Chamoli {now promoted to the Cadre of Civil Judge (Sr. Div.)} as Secretary, DLSA, Tehri Garhwal.
3. Smt. Jyoti Bala will not be entitled for Transfer Travelling Allowance as the transfer is on her request.

By Order of the Court,

Sd/-

PRADEEP PANT,

Registrar General.

NOTIFICATION

February 05, 2019

No. 64/XIV-a/30/Admin.A/2010–Sri Dharam Singh, 6th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 07.01.2019 to 17.01.2019 with permission to prefix 06.01.2019 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

February 06, 2019

No. 65/XIV-a/51/Admin.A/2012–Ms. Anita Kumari, the then Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar, presently posted as Civil Judge (Sr. Div.), Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 17.01.2019 to 28.01.2019.

NOTIFICATION

February 13, 2019

No. 71/XIV/68/Admin.A/2003–Sri Bindhyachal Singh, Additional District Judge, Commercial Court, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 21.01.2019 to 02.02.2019 with permission to prefix 20.01.2019 as Sunday holiday and suffix 03.02.2019 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 13, 2019

No. 72/UHC/Admin.A/2019–Sri Rajnish Mohan, 4th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Laksar, District Hardwar in the vacant Court.

The order will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

PRADEEP PANT,

Registrar General.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 हिन्दी गजट/123–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मार्च, 2019 ई0 (फाल्गुन 18, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत नौगाँव–उत्तरकाशी

31 जनवरी, 2019 ई0

उपनियम

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, सेवा शुल्क, 2017

पत्रांक–307/यु0चा0उपविधि/2018–19–नगर पंचायत नौगाँव–उत्तरकाशी सीमान्तर्गत उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 की उपधारा 2 के खण्ड (झ) तथा (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2017 बनाई जाती है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(क) यह उपविधि नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, 2016 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत, नौगाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।

(ग) यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ :–

संदर्भ के अन्यथा प्रतिकूल न होने पर:–

(1) अधिनियम का तात्पर्य, उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय एवं चिकित्सकीय अपशिष्टों को छोड़ कर किन्तु उपचारित को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूजित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(3) उपविधि से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई उपविधि से है।

(4) नगरपालिका से तात्पर्य, नगर पंचायत, नौगाँव से है।

(5) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगाँव से है एवं प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य, प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगाँव से है।

(6) सफाई निरीक्षक से तात्पर्य, नगर पंचायत, नौगाँव में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(7) निरीक्षण अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी के अधीन कार्यरत नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(8) जीव नाशित/जैव निम्नकरणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste) से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ से है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे–बचा हुआ खाना, सब्जी, फलों के छिलके, फूलों–पौधों के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

(9) जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegradable waste) का तात्पर्य, ऐसे कूड़े या कचरा सामग्री से हैं, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(11) मिश्रित कूड़े से तात्पर्य, जीव अनाशित अपशिष्ट एवं जीव नाशित कूड़े से है।

(12) पुनः चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार से सीधे अथवा विधि परिवर्तन करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन, निर्धारित माइक्रोन के अन्दर कागज, रबड़ आदि।

(13) संग्रहण (Collection) से तात्पर्य, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(14) कचरा खद्दा (Composting) का तात्पर्य, किसी ऐसे नियंत्रित प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बन पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नीकरण अन्तर्वलित है।

(15) ढुलान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट से तात्पर्य, निर्माण एवं पुनःनिर्माण सम्बन्धी ऐसी समस्त सामग्री से है, जो साधारणतया निर्माण में प्रयोग की जाती है।

(16) व्ययन (Disposal) से तात्पर्य, भूजल, सतही पर जल तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सामग्री से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(17) भूमिभरण (Landfilling) भूतल, सतह जल का प्रदूषण आकर वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आदि खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृतक, ग्रीन हाउस गैस उत्पादन, ढाल स्तर्जिता और कटाव के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण अभिप्रेत है।

(18) निक्षालितक (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिससे इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(19) प्रयोग किए गए अन्य शब्दों, जो कि इस उपविधि में परिभाषित नहीं है, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में है।

(20) नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal Authority) से तात्पर्य नगर पंचायत, नौगाँव द्वारा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत नियुक्त या गठित कोई व्यक्ति, समिति या अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जिसे नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन हेतु अधिकृत किया जाता है।

(21) सार्वजनिक स्थानों सड़कों पर निर्माण सामग्री–ईंट, पत्थर, रेत बजरी, सीमेंन्ट, सरिया आदि वाहन के उतारने से 24 घण्टे के अन्दर हटाया जाना अनिवार्य होगा।

(22) कोई भी व्यक्ति/संस्था अपने भवन/कार्यालय के गन्दे पानी हेतु पालिका की नालियों/सीवरेज तक स्वयं पाइप आदि की व्यवस्था करेगा।

(23) बरसात के पानी हेतु छत से डाउन पाइप भी सार्वजनिक नालियों तक लगाना अनिवार्य होगा।

(24) कोई भी व्यक्ति संस्था/धार्मिक आयोजनकर्ता द्वारा सड़क पर गन्दगी यथा सब्जी, फलों के छिलकें, घरों का कूड़ा, दूकानों से निकलने वाला टूटा–फूटा बारदाना, मकानों का मलबा, दैनिक उपयोग की टूटी–फूटी वस्तुएँ, ठोस अपशिष्ट, फल, सब्जी की दुकानों से निकलने वाली सड़ी–गली सब्जी, फल, अन्य जैविक अपशिष्ट व प्लास्टिक टाट, सिंथेटिक वस्तुएँ, डिस्पोजल प्लेट, गिलास आदि, विवाह समारोह आदि का बचा हुआ खाना, निर्माण कार्यों के फलस्वरूप बचा ईंट, रेत, बजरी, सीमेन्ट, पत्थर आदि अजैविक अपशिष्ट सड़क या सार्वजनिक स्थानों/नदियों/गलियों/नालियों/रास्तों पर फैलाना/फेंकना प्रतिबन्धित है।

(25) बिन्दु सं0 18 से 21 तक का पालन न करने की दशा में अर्थदण्ड सार्वजनिक स्थानों हेतु ₹ 1,000/– तथा व्यक्तिगत स्थानों पर ₹ 500/– अर्थदण्ड लिया जावेगा।

(26) नगर पंचायत द्वारा अपशिष्ट संग्रहण हेतु दरें निम्नानुसार है, सेवा शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट का प्राविधान नहीं होगा।

(27) अनुसूची में दी गई दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी।

अनुसूची–1

सेवा शुल्क विवरण

क्र0 सं0	अवशिष्ट एवं अवशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) की राशि ₹ में			
		जैविक, अजैविक कूड़ा अलग–अलग कर कूड़ा गाड़ी तक पहुँचाने पर	जैविक, अजैविक कूड़ा घर/स्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	मिश्रित कूड़ा वाहन तक पहुँचाने पर	जो व्यक्ति घर/स्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दें
1.	घरों से	30	40	50	60
2.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस/बारातघर	100	150	200	250
3.	धर्मशाला	30	40	50	60
4.	बेकरी/दूध डेरी/दूकान (जनरल स्टोर)	100	150	175	200
5.	कार्यालय	50	100	150	200
6.	सब्जी एवं फल विक्रेता	80	150	200	250
7.	रेस्टोरेंट	100	150	200	250
8.	स्कूल, कॉलेज एवं आवासीय शिक्षण संस्थाएँ	100	150	200	250
9.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम	100	150	200	250
10.	मेडिकल स्टोर	100	150	200	250
11.	वर्कशॉप/कबाड़ी/इलेक्ट्रीकल्स	250	300	350	500
12.	गन्ने का रस जूस विक्रेता	50	100	150	200
13.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हों	200	250	300	350
14.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	500	600	800	1000

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत नौगाँव,
जनपद–उत्तरकाशी।

ह0 (अस्पष्ट)
प्रभारी अधिकारी,
नगर पंचायत नौगाँव,
जनपद–उत्तरकाशी।

कार्यालय नगर पंचायत बनबसा (चम्पावत)

सार्वजनिक सूचना

02 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 213/प्रेषण–ड्राफ्ट/2018–19–नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–298 की उपधारा–2, खण्ड (झ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के क्रियान्वयन हेतु "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017" बनायी जाती हैं, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ :–

1. यह उपविधि नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017" कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ :–

(i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं;

(ii) "उपविधि" से अभिप्रेत, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है;

(iii) "नगरपालिका" से अभिप्रेत, संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पंचायत, बनबसा, जिला पंचायत से है;

(iv) "अधिशासी अधिकारी" से अभिप्रेत, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है;

(v) "सफाई निरीक्षक" से अभिप्रेत, नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पंचायत के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगर पंचायत बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(vi) "निरीक्षण अधिकारी" का अभिप्रेत, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है;

(vii) "नियम" से अभिप्रेत, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0–648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम 2000 बनाये गये से है;

(viii) "अधिनियम" से अभिप्रेत, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है;

(ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है, सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है। जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि;

(x) "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegradable waste)" का अभिप्रेत, ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा, कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है;

(xi) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन (निर्धारित माइक्रोन के अन्दर), कागज, धातु, रबड़ आदि;

(xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste)" से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रिया–कलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो;

(xiii) "संग्रहण (Collection)" से, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है;

(xiv) "कचरा खाद बनाने (Composting)" एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है;

(xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and construction waste)" से अभिप्रेत, सन्निर्माण, पुनःर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है;

(xvi) "व्ययन (Disposal)" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है;

(xvii) "भूमिकरण (Landfilling)" से, भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान, अभिप्रेत है;

(xviii) "निक्षालितक (Leachate)" से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है;

(xix) "नगरपालिका प्राधिकारी (Municipal authority)" में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्ध और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है;

(xx) "स्थानीय प्राधिकारी (Local authority)" का अभिप्रेत, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत हैं;

(xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal solid waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;

(xxii) "सुविधा के परिचालक (Operator of facility)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है;

(xxiii) "पुनर्चक्रण (Recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है;

(xxiv) "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनर्चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है;

(xxv) "भण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सकें;

(xxvi) "परिवहन (Transportation)" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है, ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर, जो नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नही किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें, जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पंचायत से सम्पर्क कर, पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगरपालिका से सम्पर्क कर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार (door to door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन, जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला, व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।

13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

14. अनुसूची में दी गई दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी।

15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

16. यह कि उपविधि में दिए गए किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक–अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है, तो प्रथम बार ₹ 200.00, दूसरी बार पर ₹ 500.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,000.00 पैनेल्टी देनी होगी।

17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार ₹ 500.00, द्वितीय बार ₹ 1,000.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,500.00 की अर्थदण्ड (penalty) देनी होगी।

18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेवा शुल्क (User charges) की दरें निम्नवत् हैं:–

अनुसूची–1

सेवा शुल्क (User Charges) की दरें

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट के प्रकार	जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग पहुँचाने पर (₹)	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर (₹)	जैविक, अजैविक कूड़ा घर/स्रोत पर ही अलग–अलग देने पर (₹)	जो व्यक्ति घर/स्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा देने पर (₹)
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	5	10	15	20
2.	मध्यम वर्ग, कम आय वाले घर	10	15	20	25

1	2	3	4	5	6
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	15	20	25	30
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	100	125
5.	रेस्टोरेन्ट	250	500	200	250
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	200	300	300	350
7.	धर्मशाला	20	30	40	50
8.	बारातघर	1,000	1,500	1,000	1,500
9.	बैकरी	150	200	150	200
10.	कार्यालय	50	100	50	75
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100	200	200	200
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	20	25	25	25
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	200	400	200	250
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	100	200	150	200
15.	दुकान	100	200	150	175
16.	फैक्ट्री (उद्योग)	200	400	300	450
17.	वर्कशाप/कबाड़ी	1,000	1,500	500	700
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो	200	500	500	400
20.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	200	400	400	300

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे–भण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा/जुलूस आदि पर उपरोक्त दरें लागू नहीं होगी।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5,000.00 (रु0 पाँच हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकारी अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बनबसा, जिला चम्पावत में निहित होगा।

जयवीर सिंह राठी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत बनवसा,
जनपद–चम्पावत।

अनिल कुमार चन्याल,
प्रशासक,
नगर पंचायत
बनवसा (चम्पावत)।

सूचना

मेरे हाईस्कूल प्रमाणपत्र में त्रुटि से मेरा नाम सतेन्द्र कुमार पी अंकित हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम सतेन्द्र कुमार है। भविष्य में मुझे सतेन्द्र कुमार पुत्र तेजपाल सिंह नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सतेन्द्र कुमार पुत्र तेजपाल सिंह
निवासी क्यू नं0 1076 टाईप–2,
सेक्टर–3, भेल, रानीपुर (हरिद्वार)

सूचना

मैने धार्मिक कारणों से अपना नाम प्रकाश राम से बदलकर प्रकाश चन्द्र कर लिया है। भविष्य में मुझे प्रकाश चन्द्र पुत्र जोगाराम नाम से जाना व पहचाना जाय।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रकाश चन्द्र पुत्र जोगाराम
निवासी टकाना कालौनी
वार्ड नं0 2, पिथौरागढ़।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 हिन्दी गजट/123–भाग 8–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।